सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016

फोन- 0755-2556916,ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/2026/1152349 भोपाल दिनांक 09-03-2026

//विज्ञापन प्रारूप//

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत लिंक रोड नम्बर 3 पत्रकार कॉलानी भोपाल में निर्मित पेड ओल्ड एज होम (संध्या छाया) के परिसर में स्थित 04 शाप (दुकाने), जो लगभग10ftX 16ft (160 Sq. ft)में निर्मित है, को अनुबंध के आधार पर मासिक किराये पर न्यूनतम 1 वर्ष के लिये दिये जाने हेतु ऑफर आमंत्रित किये जाते है। दुकानों का संचालक ऐसी सामग्री के विक्रय/उपयोग हेतु किया जायेगा, जो पेड ओल्ड एज होम की गरिमा के अनुरूप हो। दुकान संचालक के उपयोग/प्रयोजन के संबंध में अंतिम निर्णय आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण का मान्य होगा।

उपरोक्त संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन का प्रारूप एवं आवश्यक शर्तें विभागीय वेबसाईट https://socialjustice.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2026 है।

आयुक्त द्वारा आदेशित

Digitally signed by
Arun Joshi
Date: 09-03-2026
18:15:28

ASSISTANT DIRECTOR
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय

<u>सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत लिंक रोड नम्बर 3 पत्रकार कॉलानी भोपाल में निर्मित पेड ओल्ड एज होम (संध्या छाया) के परिसर में</u>

<u>दुकान किराये पर देने हेतु आवेदन पत्र</u>

प्रति,

आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय
लिंक रोड नम्बर 3, पत्रकार कॉलोनी,
भोपाल मध्यप्रदेश- 462016

विषयः पेड ओल्ड एज होम (संध्या छाया) लिंक रोड नम्बर 3 पत्रकार कॉलानी भोपाल के परिसर मेंनिर्मित दुकान किराये पर देने हेतु आवेदन।

महोदय/महोदया,

मैं, पेड ओल्ड एज होम (संध्या छाया) लिंक रोड नम्बर 3 पत्रकार कॉलानी भोपाल के परिसर में निर्मित दुकान लगभग10X16(160 sq ft) को किराये पर लेने हेतु इच्छुक है। मेरे सामान्य विवरण निम्नानुसार :-

आवेदक का विवरण

नामः ____

पताः ____

मोबाईल नम्बर ________________________ईमेल ________________________

आधार नम्बर________________________पेन कार्ड ______________________

दिव्यांगता का प्रकार (दिव्यांग होने पर) ______________________प्रतिशत ________यू.डी.आई.डी. नंबर ______________________

दुकान किस प्रयोजन के लिए उपयोग की जावेगी --

मेरे द्वारा निम्नलिखित नियम और शर्तों का पालन किया जावेगा :-

1. **किरायाः** प्रति माह किरायान्यूनतम 12,000/- रुपये देने हेतु सहमत हूं।किराये की राशि अग्रिम के रूप में प्रतिमाह 1 से 5 तारीख तक जमा की जायेगी। विलंब की स्थिति में प्रतिदिन का विलंब शुल्क राशि रूपये 100/- भी जमा करना होगा।

दिव्यांगजनों द्वारा दुकान संचालित करने की स्थिति में न्यूनतम किराये में छूट दिये जाने पर विचार किया जा सकेंगा।

2. **किराये की अवधि:** किराये के लिए अनुबंध न्यूनतम 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अनुबंध अवधि में आगामी वर्षों के लिए वृद्धि हेतु 5% की प्रति वर्ष के मान से किराये में वृद्धि की जावेगी। अनुबंध अवधि के पूर्व प्रथम पक्षकार द्वारा किसी भीसमय 1 माह का नोटिस दिया जाकर दुकान रिक्त कराई जा सकेंगी। किरायेदार द्वारा भी 1 माह का नोटिस दिया जाकर दुकान रिक्त की जा सकती है। अनुबंध अवधि की समाप्ति पर दुकान उसी स्थिति में वापस की जानी होगी जिस स्थिति में दी जा रही है।

3. **सुरक्षा राशि (Security Deposit):** किरायेदार को अग्रिम रूप से 25,000/- रुपये जमा करने होंगे, जो दुकान खाली करते समय वापस कर दिए जाएंगे। यदि किरायेदार द्वारा दुकान में नुकसान या कोई देय राशि है, तो वह राशि सुरक्षा राशि से वसूल की जायेगी।

4. **बिजली और पानी का बिल:** बिजली और पानी के बिल का भुगतान आवेदक द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर किया जाएगा।

5. **रखरखाव:** दुकान के दैनिक रखरखाव की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी। साथ ही साफ-सफाई की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।

6. **पार्किंग** : दुकान के कार्यरत एवं आने-जाने वाले व्यक्तियों के वाहन आदि परिसर के बाहर ही पार्क करना होगा।

7. **Rent Agreement (किरायानामा)** :दोनो पक्षकार के मध्य किरायानामा की प्रक्रिया संपादित की जावेगी। जिसमें स्टाम्प पेपर व अन्य का शुल्क आवेदक का होगा।

8. **अन्य कार्य/प्रयोजन** : दुकान जिस प्रयोजन हेतु दी जावेगी, उसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन से संचालन की अनुमति नहीं होगी।

9. **अन्य शर्तें:** दुकान का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए किया जावेगा जो वृद्धाश्रम की गरिमा के अनुरूप हो और किसी भी अवैध गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अवैध गतिविधि पाई जाने पर बगैर किसी नोटिस के दुकान खाली कराई जा सकेगी।

मैं उपरोक्त सभी शर्तों से सहमत हूँ।

दिनांक :

स्थान :

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

किरायेदार का नाम: ____________